उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 संख्या : 1210/आठ–10–18–15ई/2011

लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की, धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश राष्ट्रपित अधिनियम (पिरष्कारों सिहत पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा पिरष्कारों सिहत यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपित अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा—3 के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करके और राजस्व अनुभाग—5 की अधिसूचना संख्या—1705/1—5—2018—101/2018, दिनांक 23 नवम्बर, 2018 के अनुसरण में राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या—4472/9 आवास—5—96—99डी.ए./78, दिनांक 26 नवम्बर 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

<u>संशोधन</u>

पूर्वोक्त अधिसूचना में शब्द ''अयोध्या—फैजाबाद'' जहाँ कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द ''अयोध्या'' रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(नित्रिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shashan Awas Evam Shahari Niyojan Anubhag-10

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of the India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 1210 /Aath-10-2018-15E/2011 dated 10 December, 2018

NOTIFICATION

No. 1210 /Aath-10-2018-15E/2011 Lucknow: dated: 10 December, 2018

In exercise of powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Plannning and Development Act, 1973 (Presidents Act no. 11 of 1973), as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Act. (Re-enactment with Modification) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act,1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in pursuance of Rajaswa Anubhag-5 notification no. 1705/1-5-2018-101/2018 dated November 23, 2018 the Governer is pleased to make the following amendment in Government notification no.4472/9Awas-5-96-99D.A./78, dated November 26, 1996:-

Amendement

In the aforesaid notification for the words "Ayodhya-Faizabad" wherever occurring the word " Ayodhya" shall be substituted.

By order

(Nitin Ramesh Gokarn)
Principal Secretary

Uttar Pradesh Shashan Awas Evam Shahari Niyojan Anubhag-10

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of the India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no.1211 /Aath-10-2018-15E/2011 dated 10 December, 2018

NOTIFICATION

No.1211/Aath-10-2018-15E/2011 Lucknow: dated: 10 December, 2018

In exercise of powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Plannning and Development Act, 1973 (Presidents Act no. 11 of 1973), as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh President's Act. (Re-enactment with Modification) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act,1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in pursuance of Rajaswa Anubhag-5 notification no. 1705/1-5-2018-101/2018 dated November 23, 2018 the Governer is pleased to make the following amendment in Government notification no.4470/9Awas-5-96-99D.A./78, dated November 26, 1996:-

<u>Amendement</u>

In the aforesaid notification, in para 3 for the words "Ayodhya-Faizabad" the word "Ayodhya" shall be substituted.

By order

(Nitin Ramesh Gokarn)
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 संख्या :1211/आठ–10–18–15ई/2011

लखनऊ : दिनांक : 10 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पिठत उत्तर प्रदेश राष्ट्रपित अधिनियम (पिरिष्कारों सित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा पिरिष्कारों सित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपित अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा—3 के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करके और राजस्व अनुभाग—5 की अधिसूचना संख्या—1705/1—5—2018—101/2018, दिनांक 23 नवम्बर, 2018 के अनुसरण में राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या—4470/9 आवास—5—96—99डी.ए./78, दिनांक 26 नवम्बर 1996 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, प्रस्तर—3 में, शब्द ''अयोध्या—फैजाबाद'' जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द ''अयोध्या'' रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(निर्तिन रमेश गोकर्ण) प्रमुख सचिव।